



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित रूट बनाकर बसों का समयबद्ध संचालन कराने के निर्देश भी दिए।

‘रोडवेज ड्राइवर, कंडक्टर व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सेमीनार आयोजित करें’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने परिवहन, सड़क सुरक्षा विभाग व रोडवेज की समीक्षा बैठक ली

जयपुर, 30 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ , सुरक्षित एवं सुविधायुक्त बनाने के लिए लक्ष्यनिर्धारित करके कार्ययोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज की बसों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कार वाले भी बसों में यात्रा के लिए प्रेरित हों।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रोडवेज चालक, परिचालक सहित सभी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित कराने के निर्देश दिए।

- मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बसों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करायें कि कार वाले भी बस में यात्रा करने के लिए प्रेरित हों।
- उन्होंने कहा, ओवर लोड व ओवर स्पीड वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही व निगरानी होनी चाहिए।

उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड और विश्राम स्थलों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें एक ही रंग में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम भविष्य को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार करे। सुरक्षित सफर के साथ बसों में भोजन और सरस उत्पाद उपलब्ध कराने का नवाचार किया जाए। उन्होंने

प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित रूट बनाकर बसों का समयबद्ध संचालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों में कैमरे और जीपीएस स्थापित करें और लोक परिवहन बसों का भी कलर निर्धारण करें।

शर्मा ने पद दुरुपयोग करने वाले कार्मिकों, ओवरलोड और ओवरस्पीड वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई

और निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन परमिट जारी करने से पहले रूट निर्धारण करें, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, राजकीय कार्यालयों का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए, तभी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने में इलेक्ट्रिक वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद बैराव सहित सम्बंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

गाज़ा में अस्थायी युद्ध विराम पर इज़रायल ने सहमति दी

वाशिंगटन, 30 मई। अमेरिका के वाइट हाउस ने कहा कि इजरायल ने गाज़ा में 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में, पुष्टि की कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव वित्कोफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमاس को युद्ध विराम प्रस्ताव सौंपा है, जिसका इजरायल ने समर्थन किया है। लेविट ने कहा, हमاس को भेजे जाने से पहले इजरायल ने इस प्रस्ताव पर

- अमेरिका ने बताया कि यह युद्ध विराम 60 दिन का होगा।

हस्ताक्षर कर दिए थे। मैं यह भी पुष्टि कर सकता हूँ कि वे चर्चाएं जारी हैं, और हमें उम्मीद है कि गाज़ा में युद्ध विराम होगा ताकि हम सभी बंधकों को घर वापस ला सकें। सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, एक इजरायली अधिकारी और मामले से परिचित एक अमेरिकी सूत्र ने पुष्टि की कि प्रस्तावित समझौते में न केवल 60–दिवसीय युद्ध विराम शामिल है, बल्कि 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के अवशेषों को रिहा करने की योजना भी शामिल है।

शपथ ग्रहण समारोह में शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों के अलावा अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता और गणमान्य लोग मौजूद थे। इस महाने उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति ए एस ओका के सेवानिवृत्त होने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के तीन पद खाली हो गए थे।

न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की कोलीजियम ने 26 मई 2025 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मुहर के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को न्यायमूर्ति अंतर प्रवेश और तमिलनाडु को अवॉर्नट किया गया, कर्नाटक को नहीं। योगदान और योग्यता के आधार पर इसका हकदार कर्नाटक है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि वे इस पद पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं।

हिन्दुस्तान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कर्नाटक के मंत्री ने यह भी अफसोस जताया कि इतने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, 2022–23 में रक्षा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को अवॉर्नट किया गया, कर्नाटक को नहीं। योगदान और योग्यता के आधार पर इसका हकदार कर्नाटक है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि वे इस पद पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं।

गृह मंत्री शाह ने पुंछ का दौरा किया

जम्मू, 30 मई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को फिर से परिभाषित किया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते तथा पानी और और खून भी एक साथ नहीं बह सकते।

पुंछ में गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे शाह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नागरिकों पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका अधिक प्रभावी और सटीक तरीके से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सीमावर्ती इलाकों में बंकर बनाने का फैसला लिया गया था। अब तक 9,500 से अधिक बंकर बनाए गए हैं और इन बंकरों के कारण सीमावर्ती

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या “पूर्ण” हुई

तीन न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है

- सी.जे.आई. बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में तीन नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई।

नयी दिल्ली, 30 मई। उच्चतम न्यायालय में नवनियुक्त तीन न्यायाधीशों ने शुक्रवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने शीर्ष अदालत परिसर के एक सभागार में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति एन की अंजारिया, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति ए एस चंद्रकर को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण करने के साथ ही उच्चतम न्यायालय के लिए कुल निर्धारित 34 न्यायाधीशों की संख्या पूरी हो गई।

शपथ ग्रहण समारोह में शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों के अलावा अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता और गणमान्य लोग मौजूद थे। इस महाने उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति ए एस ओका के सेवानिवृत्त होने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के तीन पद खाली हो गए थे।

न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की कोलीजियम ने 26 मई 2025 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मुहर के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को न्यायमूर्ति अंतर प्रवेश और तमिलनाडु को अवॉर्नट किया गया, कर्नाटक को नहीं। योगदान और योग्यता के आधार पर इसका हकदार कर्नाटक है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि वे इस पद पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं।

- सी.जे.आई. बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में तीन नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई।

मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के और न्यायमूर्ति चंद्रकर बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। अहमदाबाद के मांडवी-कच्छ में 23 मार्च, 1965 को वकीलों के परिवार में जन्मे न्यायमूर्ति अंजारिया के पिता भी न्यायपालिका में थे। अंजारिया अगस्त 1988 से वरिष्ठ अधिवक्ता एस एन शेलत के चैंबर में शामिल होकर गुजरात उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और वे संवैधानिक मुद्दे और सभी श्रेणियों के सिविल मामलों, श्रम और सेवा से जुड़े मामलों में वकालत कर चुके हैं। न्यायमूर्ति अंजारिया ने 25 फरवरी, 2024 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

न्यायमूर्ति बिश्नोई का जन्म 26 मार्च, 1964 को जोधपुर में हुआ था। उन्होंने आठ जुलाई, 1989 को अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करवाया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और जोधपुर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, सेवा, चुनाव मामलों आदि जैसे कई क्षेत्रों में वकालत की। उन्होंने वर्ष 2000–2004 के दौरान केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।

न्यायमूर्ति बिश्नोई को आठ

जनवरी, 2013 को राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने सात जनवरी, 2015 को राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने पांच फरवरी, 2024 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य शुरू किया।

न्यायमूर्ति चंद्रकर का जन्म सात अप्रैल, 1965 को हुआ था। मुंबई के वरिष्ठ अधिवक्ता बी एन नाइक के मार्गदर्शन में उन्होंने वकालत शुरू की, जिन्हें बाद में न्यायपालिका में पदोन्नत किया गया। न्यायमूर्ति चंद्रकर 1992 में नागपुर चले गए और विभिन्न न्यायालयों में वकालत की और अलग-अलग प्रकृति के मामलों को सफलतापूर्वक संभाला। उन्हें 21 जून, 2013 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। बाद में वे वहां चीफ जस्टिस बने।

पहलगाम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ऐशान्या और शुभम के पिता की आंखों से आंसू निकल आए, जिन्हें देखकर प्रधानमंत्री ने उन्हें ढ ढास सं बंधाया। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन ‘सिंदूर’ रुका नहीं है, बल्कि यह आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने परिजनों को आश्वास किया कि सरकार उनके साथ है और आगे भी मुलाकात होती रहेगी। शुभम द्विवेदी के परिवारों की नखल एसडीएम की देखरेख में कार से चेकरी एयरपोर्ट लाया गया था।

“हम पहलगाम की घटना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सरहद पर अतिरिक्त सेनाएं तैनात कर दी थीं। संघर्ष के बाद, सार्वजनिक रूप से बोलने वाले पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठतम अधिकारी जनरल मिर्जा ने कहा, “हम करीब-करीब 22 अप्रैल की स्थिति पर वापस आ गये हैं। - - हम उस स्थिति पर पहुंचने वाले हैं, वैसे हमें उस स्थिति पर अब तक पहुंच जाना चाहिए था।”

जनरल मिर्जा, जो इस समय “शांगरी-ला डायलॉग” फोरम में शामिल होने के सिलसिले में सिंगापुर में हैं, ने कहा कि इस संघर्ष में, न्यूक्लियर हथियारों की तरफ कदम भले ही नहीं बढ़े हों, लेकिन स्थिति बहुत खतरनाक थी।

उन्होंने कहा, “इस बार कुछ नहीं हुआ। लेकिन किसी भी समय किसी भी प्रकार के गलत रणनीतिक अनुमान की संभावना खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि जब संकटपूर्ण स्थिति होती है,

उस समय प्रतिक्रियाएं भिन्न प्रकार की होती हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इस बार की लड़ाई कश्मीर, जो हिमालय की गोद में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न क्षेत्र है, की जमीन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का कश्मीर के कुछ-कुछ हिस्से पर शासन है, लेकिन दोनों ही देश पूरे कश्मीर पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन किसी ने भी किसी गंभीर नुकसान की बात स्वीकार नहीं की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर भारत पर फिर से हमले किये गये तो सीमा पार के “आतंकी ठिकानों” को निशाना बनाया जाएगा।

दोनों देशों के बीच तीन बड़े युद्ध हुए हैं, जिनमें दो कश्मीर को लेकर ही

हुए हैं, वैसे तो अनेक सशस्त्र झड़पें हुई हैं, क्योंकि दोनों ही देशों का जन्म 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश भारत से ही हुआ है।

भारत कश्मीर में विद्रोह का आरोप पाकिस्तान पर लगाता है, जिसकी शुरुआत 1989 में हुई और उसमें अब तक दसियाँ हजार लोग मारे गये हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वह तो आत्म-निर्णय की दिशा में बढ़ रहे कश्मीरियों को केवल नैतिक, राजनैतिक एवं कूटनीतिक समर्थन एवं सहयोग देता है।

मिर्जा ने कहा, “भविष्य के लिहाज से, इन दोनों ही पड़ोसी न्यूक्लियर ताकतों के बीच और ज्यादा खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल की संभावना बढ़ गई है, और फिर यह संघर्ष केवल विवादित भूभाग तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान को अपनी गंघेपट में ले लेगा। यह बहुत ही खतरनाक संकेत है।”

“सिंदूर” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में निवेश और विकास का पूर्णतया अभाव है, जिससे नई नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है। मुर्शिदाबाद और मालदा के दंगों का उल्लेख करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर इन घटनाओं की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा का मकसद तुणमूल सरकार को अस्थिर करना है। उन्होंने पलटवार करते हुए, केन्द्र सरकार से सवाल किया कि मिजोरम में शांति बनाए रखने के लिए वह क्या कर रही है। हकीकत यह है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में हैं और राज्य पुलिस एवं प्रशासन पर उनका नियंत्रण है, तब तक चुनावों में विपक्ष के लिए जीतना बेहद कठिन रहेगा। आरोप लगते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में केवल तुणमूल समर्थकों को ही प्रभावी रूप से मतदान करने की अनुमति दी जाती है, जिससे तुणमूल कांग्रेस की चुनावी जीत सुनिश्चित हो जा सके।

बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी सहित तीन को उम्रकैद

कोटद्वार, 30 मई। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने शुक्रवार को सजा का एलान करते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी।

अतिरिक्त जेजी एल एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने आज सजा का एलान किया। भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्या के पुत्र एवं ऋषिकेश के वनतरा रिसेंट के मालिक पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 के तहत दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि

बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी सहित तीन को उम्रकैद

रिसेंट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को साक्ष्य पिटने के मामले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अवनीश नेगी के अनुसार तीनों को हत्या का दोषी करार दिया गया है और उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है।

उल्लेखनीय कि वर्ष 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास वनतरा रिसेंट में रिसैप्सिटि के पद पर तैनात थी। वह 18 सितम्बर, 2022 को यकायक लापता हो गयी थी।

मोदी अपने मंत्रिमण्डल में ...

उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में 65 प्रतिशत मतदान को लोकतांत्रिक जुझारूपन का प्रमाण बताया। उनके बयान ने कांग्रेस खेमे में बेचनी पैदा कर दी है, क्योंकि कई नेता इसे पार्टी लाइन के प्रति बढ़ते झुकाव की आटकलों को और तेज कर रहा है। इस बीच, पंजाब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक और तुफान खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के वैश्विक नैरेटिव ने यहां कहा कि इस दौरान सेना प्रमुख को मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य और नियंत्रण रेखा पर सेना की परिचालन गतिशीलता के बारे में जानकारी दी गई जिससे मौजूदा रणनीतिक माहौल की व्यापक तस्वीर सामने आई। इस बीच सेना प्रमुख ने सैनिकों के साथ बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की और सभी रैंकों को उनकी व्यवसायिका, समर्पण और दृढ़ ता के लिए शाबाशी दी।

लिया है, जिससे कांग्रेस के भीतर अंदरूनी तनाव और बढ़ गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिपरिषद में बड़ा फेरबदल करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें प्रदर्शन में पिछड़ रहे कई भाजपा नेताओं को हटाया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से पहले शासन व्यवस्था को नई ऊर्जा देना और मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री की बदरती राजनीतिक और कूटनीतिक सोच के अनुरूप बनाना है। जैसे-जैसे गठबंधन बदल रहे हैं और वफादारियों की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, आने वाले हफ्तों में भारतीय राजनीति का सत्ता संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है-इसके दूरगामी असर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर पड़ सकते हैं।